न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

पत्रक–सा० ....से...

खगड़िया ....,सा0...,सन्.........................

प्रकार– बिहार मद्यनिषेध् और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट संबंध में वाद संख्याः– 174/2018 राज्य बनाम उत्पाद कुल कांड संख्याः–90/2016 से अबतक

क्रम	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	02.	3

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के अधीन उत्पाद वाद कुल संख्याः–90/2016 से दिनांक 25.09.2018 तक में जप्त देशी शराब, चुलाई शराब, तथा मशालेदार देशी शराब के विनष्टीकरण हेतु उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 435/उ0, दिनांक 20.09.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न निरीक्षक उत्पाद, खगड़िया, अवर निरीक्षक उत्पाद सदर–सह–चलिष्णु दल एवं अवर निरीक्षक उत्पाद गोगरी–सह–प्रहार बल तथा सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद विशेष छापामार दल का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि देशी शराब–4.00 लीटर, चुलाई शराब–355.70 लीटर तथा मशालेदार शराब–14.20 लीटर कुल–373.9 लीटर देशी/चुलाई तथा मशालेदार शराब उत्पाद, खगड़िया के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।

पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्पाद खगड़िया के मालखाना में रखी गई कुलः–373.20 लीटर देशी/चुलाई तथा मशालेदार शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारिल प्रक्रियों का पालन करते हुए उत्पाद वाद खगड़िया में दर्ज कुल कांड संख्याः–90/2016 से अबतक कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल–373.20 लीटर देशी/चुलाई/मशालेदार शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/निरीक्षक उत्पाद खगड़िया/अवर निरीक्षक, उत्पाद सदर–सह–चलिष्णु दल, खगड़िया/अवर निरीक्षक गोगरी–सह–प्रहार बल तथा सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद विशेष छापामार खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लिखित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर)

समाहर्त्ता, खगड़िया।

(हस्ताक्षर)

समाहर्त्ता, खगड़िया।

For Sig. 28/9/18.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02.

आदेश पर गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित

03.

डी0बी0 नं0 ...550..... /विधि, दिनांक...26-9-18...

प्रतिलिपिः–उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/निरीक्षक उत्पाद खगड़िया /अवर निरीक्षक, उत्पाद सदर–सह–चलिष्णु दल खगड़िया/अवर निरीक्षक गोगरी–सह–प्रहार बल तथा सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद विशेष छापामार, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।
26.9.18

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी
055